>

Title: Need to impress upon Government of Delhi to extend benefit of reservation in government services and educational institutions to OBC candidates having OBC certificates issued by other State Governments.

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा अन्य राज्यों के ओ.बी.सी. प्रमाण– पत्र को मान्यता न देने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने आदेश दे रखा है कि दूसरे राज्यों द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण–पत्र को दिल्ली सरकार मान्यता नहीं देगी। इसका अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि दूसरे राज्यों के पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार दिल्ली सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें दिल्ली के कॉलेजों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के तहत दाखिला ही मिल सकेगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश न केवल अब तक की मान्य परंपराओं के विपरीत है बल्कि भारतीय संविधान की भावनाओं के भी उलट है। दूसरे राज्यों द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण–पत्र को मान्यता न देने का आदेश जारी कर दिल्ली सरकार ने एक तरह से न केवल पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दिल्ली में नौकरी से वंचित करने बल्कि शिक्षण संस्थाओं में भी उन्हें दाखिला लेने से वंचित कर रखा है। यह समझ से परे है कि दिल्ली से बाहर का कोई उम्मीदवार दिल्ली सरकार से ओबीसी का प्रमाण–पत्र कैसे और किस आधार पर प्राप्त कर सकेगा? इसके विपरीत दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को अन्य राज्यों में मान्यता दी जाती है। राज्यों द्वारा आमतौर से दो प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, जिसमें एक राज्य की नौकरियों के लिए जबकि दूसरा केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए मान्य होता है। इस तरह जब राज्यों द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को केन्द्र सरकार अपनी नौकरियों के लिए मान्यता देती है तो फिर दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती?

हमारी सरकार से मांग है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वह अपने इस आदेश को वापस ले ताकि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार भी दिल्ली की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें। साथ ही, दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला ले सकें।